"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-15/2009/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-10-2009 द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा के निर्माणाधीन पावर प्लांट की चिमनी ढहने की घटना की न्यायिक जांच हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप बख्शी की सदस्यता में जांच आयोग का गठन तीन माह के लिये किया गया था, उसी अनुक्रम में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-1-2010 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीम माह तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-4-2010 से छः माह एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-10-2010 द्वारा दिनांक 12-10-2010 से छः माह के लिये वृद्धि की गई थी. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-04-2011 से तीन माह की और वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.